F-07-07



## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.

**BENGALURU - 560 037.** 

वर्ग अनुमोदन सं.: 1894 / Type Approval No.: 1894

मद / FOR ITEM: सर्वोग्रीस जेडएक्स-38 / SERVOGREASE ZX - 38

यह प्रमाणित किया जाता है की मेसर्स इंडियल ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड, अनुसंधान और विकास केंद्र, सेक्टर 13, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा विकसित और मेसर्स इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड. ग्रीस प्लांट, वाशी, प्लॉट सं. डी-100, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कुक्षेत विलेज, वाशी, नवी मुंबई- 400 705 द्वारा उत्पादित "सर्वोग्रीस जेडएक्स-38" को वायुयान के अनुप्रयोगों में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर. सी. एम. ए (एफ एंड एफ-एफओएल) के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश सं. डीईएफएसटीएएन80-81, इश्यु सं.3, दिनांक 25 अप्रैल 2003, संशोधन 2 में समाविष्टित करने हेतु 09 जनवरी 2006 में पुनर्मुद्रित के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए'में संलग्न वर्ग रिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to Certify that the "Servogrease ZX – 38", Developed by M/s. Indian Oil Corporation Limited, Research and Development Centre, Sector 13, Fairdabad and Manufactured by M/s. Indian Oil Corporation Limited, Grease Plant, Vashi, Plot No. D – 100, TTC Industrial Area, Kukshet Village, Vashi, Navi Mumbai 400 705, is hereby approved for Aircraft applications. This product has been tested in co-ordination with RCMA (F&F-FOL) for production as per Governing Technical Specification Doc No.: DEF STAN 80 – 81, Issue No.: 3, Dated: 25<sup>th</sup> April 2003, reprinted 09<sup>th</sup> January 2006 to incorporate amendment 2. It has met the requirements as detailed in the Type Record Compliance Statement enclosed at Appendix 'A'.

ਪ੍ਰਾਬ / Page 01 of 02

ਧੂਬ / Page 02 of 02 ਟੀ ए सं. / TA No. 1894 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2021तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हेलिकॉप्टर्स) से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to  $31^{st}$  December 2021 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The developer shall request RCMA (F&F-FOL), for subsequent renewal, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback from users.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any change in the Type Approval, SOP and in the declared performance as indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferrable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न / Encl: परिशिष्ट 'ए'/ Appendix 'A'

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC / 5070 / टी.ए / TA-1894

दिनांक / Date : **3** *June 2016* फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

पी. जयपाल / P. JAYAPAL मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) / Chief Executive (Airworthiness)

K Originale